झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एस0 ए0 संख्या–23 / 2011

1. आशिफ इकबाल उर्फ आसिफ इकबाल

2. वशीम अकरम .... अपीलकर्त्तागण

बनाम्

1. अब्दुल वहाब
2. आयेशा खातुन
3. अंजुम उर्फ गुड़िया
4. तमन्ना
5. तबस्सुम उर्फ जुगनु .... प्रत्यर्थीगण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 उपाध्याय

अपीलकर्त्ताओं के लिए : कोई नहीं।

उत्तरदाताओं के लिए : .....

07 / 03.12.2015 यह अपील प्रतिवादी–उत्तरदाता द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–III, जामताड़ा के टाइटल अपील सं0–02 / 2010 में पारित दिनांक 25.02.2011 के निर्णय तथा दिनांक 05.03.2011 को हस्ताक्षरित डिक्री के खिलाफ दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा अवर न्यायाधीश–I, जामताड़ा द्वारा स्वत्व वाद सं0–56 / 1996 में पारित दिनांक 15.02.2010 के निर्णय तथा दिनांक 04.03. 2010 को हस्ताक्षरित डिक्री को निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया था।

2. वादी ने सूट परिसर से प्रतिवादी सं0–1 और प्रतिवादी सं0–2 को बेदलखल करने के बाद सूट / वाद की संपत्ति पर अधिकार, स्वत्व एवं हित की घोषणा हेतु यह वाद दाखिल किया है। वाद को सविरोध डिक्री किया गया था। उसके बाद, प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीश, जामताड़ा के समक्ष टाइटल अपील सं0–02 / 2010 दाखिल किया जो तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, जामताड़ा के न्यायालय से निष्पादित हुआ। अपील खारिज की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अभिपुष्ट कर दिया गया।

3. अपीलकर्त्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता मौजूद हैं।

4. समरूपी मन्तव्य है (दोनों न्यायालयों का) तथा इस अपील के उचित निर्णय हेतु विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित नहीं है।

5. ऐसी परिस्थिति में, यह अपील गुण रहित है तथा इसे खारिज किया जाता है।

(डी0 एन0 उपाध्याय, न्याया0)